GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. 107
TO BE ANSWERED ON 01/08/2024

Waste management in the country

107* SHRI B. PARTHASARADHI REDDY:

Will the Minister of ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that out of 62 million tonnes (MT) of municipal solid waste generated per annum in the country, only 43 MT is collected, out of which, only 11.9 MT is treated and the rest is dumped in landfill sites;
(b) if so, the reasons for low waste treatment in the country;
(c) whether Government is planning to introduce any advanced technological solution to improve waste management in the country; and
(d) if so, the details thereof, if not, in what manner Government is planning to deal with the issue?

ANSWER

MINISTER FOR ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
(SHRI BHUPENDER YADAV)

(a) to (d): A statement is laid on the Table of the House.

***

Statement referred to in reply to parts (a) to (d) of Rajya Sabha Starred Question No. 107 to be answered on 1st August, 2024 on "Waste management in the country" by Shri B. Parthasaradhi Reddy, MP.

(a) & (b): The Solid Waste Management Rules, 2016, provide the statutory framework for management of solid waste in the country. The local authorities are mandated for solid waste management under Solid Waste Management Rules, 2016. As per Swachh Bharat Mission Urban 2.0 dashboard, the solid waste generated is approximately 1.59 lakh TPD, of which 1.24 lakh TPD is processed. As per Solid Waste Management Rules, 2016, local bodies are mandated to allow only non-recyclable, non-biodegradable, non-combustible and non-reactive waste to go to sanitary landfills and every effort shall be made to achieve the desired objective of zero waste going to landfill.

Separately, Central Pollution Control Board has issued Guidelines for Disposal of Legacy Waste (Old Municipal Solid Waste). Directions under Section 5 of Environment (Protection) Act, 1986, to all State Pollution Control Boards / Pollution Control Committees for enforcement of provisions of Solid Waste Management Rules, 2016, regarding bio-mining of legacy waste.

(c) & (d): As per Solid Waste Management Rules, 2016, local bodies shall facilitate construction, operation and maintenance of solid waste processing facilities and associated infrastructure using suitable technology adhering to the guidelines issued by the Ministry of Housing and Urban Affairs from time to time and standards prescribed by the Central Pollution Control Board.

Central Public Health Engineering Organization under Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India, has published Municipal Solid Waste Manual, which inter alia covers technical aspects segregation, collection, transportation, processing and treatment of municipal solid waste.

Further, CPCB has also constituted Standing Committee on Technology for Waste Management for assessment of indigenous technologies and innovative waste management practices. The Committee has prepared a Protocol for Evaluation of Technology for Waste Management, which is available on CPCB website (https://cpcb.nic.in/uploads/Technology_WM_1.pdf).

***

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. *107
01.08.2024 को उत्तर के लिए

देश में अपशिष्ट प्रबंधन

***107. श्री बी. पार्थसारधी रेड्डी :**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में प्रतिवर्ष उत्पन्न होने वाले 62 मिलियन टन (एमटी) सार्वजनिक ठोस अपशिष्ट में से केवल 43 एमटी ही एकत्र किया जाता है, जिसमें से केवल 11.9 एमटी का निपटान किया जाता है और शेष अपशिष्ट को लैंडफिल साइटों में डाल दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो देश में कम अपशिष्ट निपटान किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार देश में अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करने के लिए कोई उन्नत तकनीकी समाधान आरंभ करने की योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो सरकार इस मुद्दे से किस प्रकार निपटने की योजना बना रही है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (घ) : विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

'देश में अपशिष्ट प्रबंधन' के संबंध में श्री बी. पार्थसारधी रेड्डी, माननीय संसद सदस्य द्वारा दिनांक 01.08.2024 को उत्तर के लिए पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 107 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत देश में ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु सांविधिक कार्य ढांचा उपलब्ध कराया गया है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु स्थानीय प्राधिकरणों को अधिदेशित किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 डैशबोर्ड के अनुसार, उत्पन्न किए गए ठोस अपशिष्ट की मात्रा लगभग 1.59 लाख टीपीडी है, जिसमें 1.24 लाख टीपीडी को प्रसंस्कृत किया जाता है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार, स्थानीय निकायों को केवल गैर-पुनर्चक्रणीय, गैर-जैव अवक्रमणीय, गैर-दहनीय और गैर-प्रतिक्रियाशील अपशिष्ट को सेनिटरी लैंडफिलों में पहुंचाने हेतु अधिदेशित किया गया है और लैंडफिल में शून्य अपशिष्ट के वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु हर संभव प्रयास किया जाएगा।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पुराने अपशिष्ट (पुराने नगरीय ठोस अपशिष्ट) के निपटान हेतु अलग से दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत पुराने अपशिष्ट के जैविक खनन के संबंध में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्रावधानों के प्रवर्तन के लिए निदेश जारी किए गए हैं।

(ग) और (घ) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार, स्थानीय निकाय उपयुक्त प्रौद्योगिकी का उपयोग करके तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण केन्द्रों के निर्माण, संचालन और अनुरक्षण तथा तत्संबंधी आधारभूत संरचना के निर्माण में सुविधा प्रदान करेंगे।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी संगठन ने नगरीय ठोस अपशिष्ट मैनुअल प्रकाशित किया है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, नगरीय ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण, संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण और शोधन के तकनीकी पहलुओं को शामिल किया गया है।

इसके अलावा, सीपीसीबी द्वारा स्वदेशी प्रौद्योगिकियों और नवाचारी अपशिष्ट प्रबंधन पद्धतियों के आकलन हेतु अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी के संबंध में स्थायी समिति का भी गठन किया है। इस समिति ने अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन के लिए एक प्रोटोकाल तैयार किया है, जो सीपीसीबी की वेबसाइट (https://cpcb.nic.in/uploads/Technology_WM_1.pdf) पर उपलब्ध है।

*****

MR. CHAIRMAN: First Supplementary; Shri B. Parthasaradhi.

SHRI B. PARTHASARADHI: Sir, thank you very much for giving me the opportunity because this is my first question. After several attempts, I got the opportunity. I need all of your blessings. Thank you very much. In the reply to my question, the hon. Minister emphasised and highlighted only on amending rules, issuing protocols, making committees and further amending guidelines. Sir, through you, I want to know, after 2016 policy implementation, is there any authentic data of increasing or decreasing the quantity of solid waste material, which is not treated in the country and details of allocation of State-wise funds for solid waste management and targeted timelines to achieve zero solid waste landfill status.

श्री भूपेन्द्र यादव: सभापति महोदय, CPCB की जो Annual Report है, उस रिपोर्ट के अंतर्गत 2020-21 तक जो solid waste generate होता था, वह 1,60,038 TPD होता था और उसका landfill, जो treated है, वह CPCB की website पर उपलब्ध है।

महोदय, जहाँ तक इसके प्रबंधन का विषय है, यह local bodies के द्वारा किया जाता है। हमारे मंत्रालय के द्वारा समय-समय पर जो guidelines जारी की गई हैं, उसमें विशेष रूप से 2016 के Solid Waste Management Rules, Plastic Waste Management Rules, Biomedical Waste Management Rules, Construction and Demolition Waste Management Rules, Hazardous and Other Waste Management Rules, and E-Waste Management Rules इसके मुख्य regulatory norms हैं, जिनको local bodies के द्वारा control किया जाता है।

MR. CHAIRMAN: Second supplementary; Shri B. Parthasaradhi Reddy.

SHRI B. PARTHASARADHI REDDY: Sir, my second question is this. According to the recent studies, despite the complete plastic waste import ban in 2019, around five lakh tonnes of the plastic waste is smuggled into India which is highly hazardous and contaminating, mainly, the water resources. What steps are being taken by the Government to ensure that the solid waste generated in other countries is not being smuggled into our country?

श्री भूपेन्द्र यादव: महोदय, माननीय सदस्य ने बिल्कुल सही बात कही है कि single-use plastic की समस्या सबसे बड़ी चुनौती है। महोदय, हमने उसको बैन भी किया है, लेकिन उसका नीचे execution, State Government के द्वारा होता है। महोदय, single-use plastic के अतिरिक्त जो

अन्य plastic package हैं, हमने उनके लिए एक EPR platform बनाया है और extended producer's liability इस platform के अंतर्गत आती है। हमने उसकी पूरी जानकारी portal के द्वारा देने का भी पूरा प्रबंध किया है। इसके साथ ही साथ हमें यह भी पता है कि Extended Producer's Responsibility में waste tyre का भी विषय आता है और plastic packaging का भी विषय आता है। महोदय, एक और जो बड़ी चुनौती है, वह waste battery की है और अभी जो एक सबसे बड़ा विषय हमारे सम्मुख है, वह e-waste का है। जो used oil है, वह भी काफी ज्यादा मात्रा में प्रदूषण को फैलाता है, हमने इसके लिए पूरी guidelines और रूल्स बनाए हैं, जो मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। हमने ये रूल्स 2022 और 2023 में जारी किए हैं।

MR. CHAIRMAN: Third supplementary; Shri Jairam Ramesh.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, for the last few years, the country has been trying to grapple with the issue of chemical contamination. There are a large number of contaminated sites across the country. And I am glad that the hon. Health Minister is also here because these contaminated sites are grave public health hazards. Two of the worst sites in the country are in New Delhi alone. One is in Ghazipur and the other one is in Bhalaswa. I would like to ask the hon. Minister as to what specific steps will be taken to deal with these contaminated sites which are posing severe public health hazards.

श्री भूपेन्द्र यादव: सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि इस पर लगातार कदम उठाए गए हैं। महोदय, जो विषय लंबे समय से pending पड़ा था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का भोपाल का यूनियन कार्बाइड से संबंधित जजमेंट था, उस विषय को लेकर भी मंत्रालय की गाइडलाइन्स दी गई हैं और हम उसको हटाने के संबंध में पूरे प्रयास कर रहे हैं।

महोदय, जो बाकी specific sites हैं, जिन्हें जयराम जी ध्यान में लेकर आए हैं, उनके लिए हम सभी जगह advisory भी..(**व्यवधान**)..

श्री सभापति: मंत्री जी, ये साइट्स सभी के ध्यान में हैं।

श्री भूपेन्द्र यादव: महोदय, सब जगह नहीं हैं, ये site-specific हैं, इसलिए site-specific के हिसाब से directions दिए जाते हैं। उन्होंने specific उदाहरण दिए हैं और मैंने specific उदाहरण के साथ काम किया है, क्योंकि जो site-specific होते हैं, उनका जो विषय आता है, उसके directions accordingly rules के अंतर्गत जारी किए जाते हैं।

MR. CHAIRMAN: Supplementary number four; Ms. Swati Maliwal.

MS. SWATI MALIWAL: Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak. आज दिल्ली वालों को गर्मियों की छुट्टियों में हिल स्टेशन जाने की जरूरत ही नहीं है। सर, एमसीडी के सौजन्य से हम सबको दिल्ली में ही कूड़े के तीन बड़े-बड़े पहाड़ मिले हुए हैं।

MR. CHAIRMAN: Please ask your supplementary.

MS. SWATI MALIWAL: I am coming to it. सर, एक माउंट भलस्वा है, एक माउंट गाजीपुर है और एक माउंट ओखला है। सर, उन लैंडफिल साइट्स पर जो लोग रह रहे हैं, उनकी हालत बहुत खराब है। वहाँ पर हर दिन उन्हें बदबू, गंदगी और बीमारियों से जूझना पड़ता है। कभी आग लग जाती है, तो उससे प्रदूषण होता है।

MR. CHAIRMAN: What is your supplementary?

सुश्री स्वाति मालिवाल: सर, मेरी माननीय मंत्री जी से यह रिक्वेस्ट है, मैं उनसे यह जानना चाहती हूँ कि क्या आपको एमसीडी के द्वारा कोई भी प्रपोजल दिया गया है कि इन कूड़े के पहाड़ों से कैसे निजात पाई जा सकती है? सर, अगर प्रपोजल दिया गया है, तो उस पर क्या काम हुआ है और क्या केंद्र सरकार एमसीडी की जिम्मेदारी इस मामले में तय कर सकती है?

श्री भूपेन्द्र यादव: सर, यह दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है और दिल्ली सरकार से कहेंगे, तो अच्छा होगा।

MR. CHAIRMAN: Supplementary number five, Shrimati Jaya Bachchan.

श्रीमती जया अमिताभ बच्चन: सर, सबसे पहले मुझे बड़ा दुख है कि भूपेन्द्र जी दूसरे हाउस चले गए हैं। यहाँ रहते थे, तो अच्छा लगता था। Anyway. सर, अभी दिल्ली सरकार की बागडोर आपके हाथ में है। आप अपनी responsibility शिफ्ट मत करिए।

दूसरी बात, is the Government going to do something to move this kind of waste into an area, which is not close to human habitat?

MR. CHAIRMAN: And, Madam, he is a silent worker with global impact also. He will take care of your sentiment. He will do all he can. It does not matter whether he is in this House or that House.

श्रीमती जया अमिताभ बच्चनः आप उनको वेलिडेट मत करिए। जो उनका काम है, that is enough validation for all of us. We have been his colleagues for many years.

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister.

श्री भूपेन्द्र यादवः सर, मैं आपके माध्यम से सम्माननीय जया जी को कहना चाहता हूँ कि मैंने अपने प्रश्न के उत्तर के प्रारंभ में भी यह कहा था कि हमने 2016 में रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे और उसके बाद जैसे-जैसे ई-वेस्ट लेकर बाकी चुनौतियाँ आई हैं, हमने रेगुलेशंस बनाए हैं, लेकिन जो इसकी execution एजेंसी है, वह स्टेट गवर्नमेंट है। हम एनकैप के अंतर्गत पैसा भी प्रदान करते हैं, जिसमें हम वायु प्रदूषण के साथ-साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वॉटर पॉल्यूशन के लिए ही पैसा देते हैं। चूँकि हमारे देश में संघीय प्रणाली है, केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों को पैसा दिया जाता है, तो यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है। जहाँ तक उन्होंने दूसरे विषय के बारे में कहा है कि यह मानवीय बस्तियों के पास में न हो, इसके लिए सिटी का मैनेजमेंट प्लान हमेशा होता है। केंद्र सरकार ने भी अपने बजट के माध्यम से वेस्ट टु वैल्थ के लिए जो बजट अनाउंसमेंट 2023 में भी की थी, उसमें भी 500 नए वेस्ट टु वेल्थ प्लांट बनाए थे, जो विशेष रूप से बायो-वेस्ट के डिस्पोज़ल के लिए किया था। मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि हम मानते हैं कि इस चिंताजनक स्थिति में देश में जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट होती है, उसका 35 परसेंट केवल ड्राई वेस्ट है, 45 परसेंट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है और जो 20 परसेंट है, वह कंस्ट्रक्शन और demolition के कारण आता है। स्थानीय स्तर पर जो इसका नियोजन है, इसके लिए हम एनकैप का मूमेंट चलाते हैं और जो जिले या जो नगर अच्छा काम करते हैं, उन्हें पुरुस्कृत भी करते हैं, क्योंकि हम इसमें हेल्दी कॉंपीटिशन चाहते हैं। हमारी सिविक सोसायटी के लिए स्वच्छ शहर होना, जो वेस्ट है, उसका सही डिस्पोज़ल होना, यह आवश्यक है। हम इसे मानते हैं और राज्यों के साथ सहयोग करके, इस पर काम करना है।

MR. CHAIRMAN: Now, Question No. 108.